UPSI040568022022

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/एफ0टी0सी0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

CIS No. 7438/2022

दिनांक :–02.12.2022

प्रार्थी/अभियुक्त **हसन अली** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–373/2022, अन्तर्गत धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम, थाना रंउसा, जिला सीतापुर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया है कि उसे उपरोक्त वाद में रंजिशन एवं झूठा नामजद किया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह अपनी जमानत देने के लिए तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दिनांक 29.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **हसन अली** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–373/2022, अन्तर्गत धारा–25(1–बी) आयुध अधिनियम, थाना रंउसा, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **मु0 20,000 रुपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(युग्मिता प्रताप)
सिविल जज(जू0डि0)/एफ0टी0सी0
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
(JO CODE : UP03640)

Digitally signed by Yugmita Pratap
Date: 2022.12.02 16:27:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur